

23

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

19

REGISTERED No. D.L.—33002/99

# दिल्ली Delhi Gazette



# राजपत्र

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13।  
No. 13।

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2006/माघ 3, 1927  
DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2006/MAGHA 3, 1927

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 602  
[N.C.T. D. No. 602

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस (I)/स्थापना विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

सं. 5/72/2005/गृ.पु.-I/स्था./359.—निजी सुरक्षा एजेंसियाँ (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिये संयुक्त आयुक्त, पुलिस (मुख्यालय) दिल्ली को नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नामोदिष्ट करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
विनय कुमार, उप सचिव (गृह)

HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd January, 2006

No. 5/72/2005/HP-I/Estt./359.—In pursuance of the provisions of sub-sections (1) of Section 3 read with clause (i) of Section 2 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the Joint Commissioner of Police (Headquarters), Delhi to be Controlling Authority for the purpose of the said Act, in the National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,  
VINAY KUMAR, Dy. Secy. (Home)

## दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

सं. फा. 8 ( 19 )/दि.वि.वि.आ./2005-06/3634.—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के धारा 181 के साथ पठित अनुच्छेद 52 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड और विद्युत व्यापारी के कर्तव्यों को उपबंधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है जैसे :

## 1. लघु शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य के अंतर्गत विद्युत व्यापारी) विनियम, 2005 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत का राज्य के अंतर्गत व्यापार करने वाले हर किसी व्यक्ति पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिमाणाएँ :-

- (1). जब तक संदर्भ की आवश्यकता कुछ और न हो इन विनियमों में:
  - (a) “अधिनियम” से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
  - (b) “आवेदक” से तात्पर्य है व्यक्ति जिसने विद्युत के राज्य के अंतर्गत व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग को आवेदन दिया है;
  - (c) “आयोग” से तात्पर्य है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग;
  - (d) “ग्राहक” से तात्पर्य है खरीददार जो व्यापारी से विद्युत की खरीद करता है;
  - (e) “राज्य के अंतर्गत व्यापार” से तात्पर्य है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र के भीतर विद्युत व्यापारी द्वारा विद्युत का व्यापार करना;
  - (f) “व्यापार अनुज्ञाप्ति” से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति जिसके द्वारा विद्युत व्यापारी विद्युत का राज्य के अंतर्गत व्यापार कर सकेगा;
  - (g) “अनुज्ञाप्तिधारक” से तात्पर्य है व्यक्ति जिसे अनुज्ञाप्ति प्रदान की गई है;

(h) "निवल मूल्य" से तात्पर्य है प्रदत्त पूँजी और स्वतंत्र आरक्षितों का कुल योग, परंतु इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन, मूल्यहास उपयंगों को वापस लिए जाने और रामामेलन से रूजित आरक्षितियां शामिल नहीं होंगी।

(i) "अन्य कारोबार" से तात्पर्य है व्यापार अनुज्ञापिधारक का कोई कारोबार जो राज्य के अंतर्गत व्यापार के अनुज्ञाप्त कारोबार के अलावा हो;

(2) शब्द और वाक्यांश जिन्हें इन विनियमों में प्रयुक्त किया है और परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का तात्पर्य वही होगा जैसा अधिनियम में उनके लिए नियत किया गया है।

**3. विद्युत व्यापारी के रूप में अर्हता होने के लिए तकनीकी आवश्यकताएं :-**

(1) व्यापार अनुज्ञाप्ति हेतु आवेदक के पास तकनीकी सामर्थ्य और संसाधन तथा राज्य के अंतर्गत की अभीष्ट मात्रा के प्रबंध हेतु पर्याप्त सामर्थ्य होने चाहिए।

(2) आयोग समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा विद्युत व्यापारी द्वारा बनाए रखे जाने वाले तकनीकी सामर्थ्य पर निर्णय देगा।

(3) आवेदक को विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिये तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करते हुए उसके पास से कम अभियंत्रिकी में योग्यता और विद्युत उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त एक व्यक्ति होना चाहिए।

(4) विद्युत व्यापारी आयोग द्वारा यथा निर्देशित तकनीकी सामर्थ्य और संसाधन रखेगा और तत्संबंधी किसी भी परिवर्तन का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करेगा और इसको उचित सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार की मात्रा का प्रबंध करने के लिए सामर्थ्य को पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा रहा है।

**4. विद्युत व्यापारी के रूप में अर्ह होने के लिए वित्तीय आवश्यकता :-**

(1) आवेदक एक वर्ष में आवेदक द्वारा प्रस्तावित अधिकतम व्यापार की मात्रा और प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान व्यापार की भावी योजनाओं की आयोग के समक्ष घोषणा करेगा।

(2) पूँजी पर्याप्तता आवश्यकता और प्रत्यय योग्यता : प्रस्तावित राज्य के अंदर व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, विद्युत व्यापारी का आवेदन देने के समय निवल मूल्य एतदीन विनिर्दिष्ट राशियों से कम नहीं होगा :-

क्रम संख्या	व्यापार अनुज्ञाप्ति की श्रेणी	प्रतिवर्ष व्यापार किए जाने वाले विद्युत (किलो-वाट घंटे) में	निवल मूल्य। (लाख रुपये में)
1.	A	1 करोड़ तक	पन्द्रह
2.	B	1 से 2 करोड़ तक	तीस
3.	C	2 से 5 करोड़ तक	पचहत्तर
4.	D	5 से 7 करोड़ तक	सौ
5.	E	7 से 10 करोड़ तक	एक सौ पचास
6.	F	10 से 20 करोड़ तक	दो सौ

उस स्थिति में जहां व्यापार की मात्रा बीरा करोड़ किलो- ताट भट्टे प्रतिवर्ष से अधिक हो जाती है, ऐसे व्यापारी के लिए पूँजी पर्याप्तता तथा प्रत्यय योग्यता का निर्णय आयोग द्वारा, जब और जैरी आवश्यकता हो, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किया जाएगा।

- (3) व्यापारी अनुज्ञाप्ति की पूरी अवधि के दौरान एक खतंत्र साथ निर्धारण एजेंसी द्वारा निवेश रेड साथ निर्धारण को बनाए रखने हेतु उचित प्रयास करेगा।
- (4) यदि व्यापार की मात्रा बढ़ती है तो किसी भी स्तर पर, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक, अनुज्ञाप्तिधारक इस प्रकार के संक्रमण के तीस दिनों की अवधि में अपने निवल मूल्य में वृद्धि करेगा तथा आयोग को विभेदक अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान करेगा। अनुज्ञाप्तिधारक तीस दिनों के भीतर आयोग को ऐसे संक्रमण तथा निवल मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा।

## 5. मानित अनुज्ञाप्तिधारक को छूट :-

विनियम 4 में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मानित संवितरण अनुज्ञाप्तिधारक विद्युत का राज्य के अंतर्गत व्यापार करने का हकदार होगा तथा उसे दिनियमों द्वारा यथा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों तथा प्रत्यय योग्यता सहित तकनीकी अथवा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उस स्थिति में आयोग अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत सामान्य अथवा विशेष स्थितियां निर्धारित कर सकता है जिसका अनुपालन ऐसे मानित अनुज्ञाप्तिधारकों को विद्युत व्यापार संबंधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए करना होगा।

## 6. राज्य के अंतर्गत व्यापार हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया

- (1) अधिनियम द्वारा यथा निर्धारित अनुज्ञाप्ति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया राज्य के अंतर्गत व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान करने हेतु लागू होगी तथा इन विनियमों के अंतर्गत समस्त कार्यवाही, जिसे आयोग द्वारा किया जाएगा, इसके दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार संचालन) विनियमों, 2001 द्वारा शासी होगा।
- (2) राज्य के अंतर्गत व्यापार के अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आयोग द्वारा इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र – 1 में (शपथ पत्र द्वारा प्रमाणित) इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रकार से किया जाएगा, तथा साथ में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

उस स्थिति में जब तक राज्य सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जाता हो, राज्य के अंतर्गत व्यापार हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ सचिव, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/अदायगी आदेश द्वारा 1.00 लाख (एक लाख) रुपये मात्र का भुगतान शुल्क के रूप में किया जाएगा तथा इस प्रकार भुगतान किया गया शुल्क जब और जैसे राज्य सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण कर लिया जाए, समायोजन के अध्यधीन होगा।

- (3) आवेदक, जिसने अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, ऐसे आवेदन को करने के 7 दिनों के भीतर आयोग द्वारा यथा निर्धारित व्यौरों तथा प्रकार से अपने आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा।

## 7. अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान

(1) अनुज्ञाप्तिधारक आयोग को वार्षिक अनुज्ञाप्ति शुल्क के रूप में यहां निम्नवत् विर्तुर्दिष्ट राशि का भुगतान सचिव, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय टिमांड ड्राफ्ट अथवा अदायगी आदेश द्वारा करेगा।

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रतिवर्ष व्यापार किए जाने वाले विद्युत (किलो-वाट) की मात्रा	अनुपस्थिरात् शुल्क (रूपये में)
1	A	एक करोड़ तक	पन्द्रह हजार
2	B	एक से दो करोड़ तक	तीस हजार
3	C	दो से पांच करोड़ तक	सत्तर हजार
4	D	पांच से सात करोड़ तक	एक लाख
5	E	सात से दस करोड़ तक	एक लाख पचास हजार
6	F	दस से बीस करोड़ तक	दो लाख

उस स्थिति में वर्ष के एक भाग के लिए अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान दिनों की संख्या के आधार पर यथानुपात किया जाएगा :

उस स्थिति में आगे कि वर्ष के एक भाग के लिए यथानुपात आधार पर अनुज्ञाप्ति शुल्क की संगणना निकटतम सौ रूपए में की जाएगी।

बशर्ते आगे यह कि ऐसे मामले में जब कारोबार का परिणाम प्रति वर्ष 20 करोड़ किलोवाट से भी अधिक हो जाए, तो अनुज्ञाप्ति शुल्क का निर्धारण, जब कभी भी आवश्यक हो, आयोग द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से किया जाएगा।

(2) अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक किया जाएगा और ऐसे मामलों में जब व्यापारी निन्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पहुंच गया हो तो अनुज्ञाप्ति शुल्क की बकाया राशि का भुगतान ऐसे परिवर्तन तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(3) यदि अनुज्ञाप्तिधारक अन्य श्रेणी से निम्न श्रेणी में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञाप्तिधारक को अनुज्ञाप्ति शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

(4) अनुज्ञाप्ति शुल्क का भुगतान अनुज्ञाप्ति जारी होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि अनुज्ञाप्तिधारक तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञाप्ति शुल्क अथवा उसके किसी भाग का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे प्रति माह भाग अथवा माह की रक्त रक्षणी, जिसके लिए विलंब शुल्क अथवा उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अनुज्ञाप्ति शुल्क के 1 प्रतिशत की दर से बकाया राशि पर विलंब शुल्क प्रभार का भुगतान करना होगा।

(6) उपरोक्त रूप में विलंब शुल्क प्रभार को भुगतान की देनदारी अनुज्ञाप्ति शुल्क अथवा उसके किसी भाग से आगे के भुगतान में विलंब को अनुज्ञाप्ति की शर्तों के उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए अनुज्ञाप्ति को रद्द भी किया जा सकेगा।

२०१०/०६/०६ - २

**8. कार्य निष्पादन का मानक :-**

- (1) आयोग, अनुज्ञापिताधारकों के साथ विकार विसर्जन करके अनुज्ञापिताधारकों अथवा अनुज्ञापिताधारकों की श्रेणी के कार्य निष्पादन मानक का निर्दिष्ट कर सकता है।
- (2) उपरोक्त के होने पर भी अनुज्ञापिताधारक, इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र || और ||| में निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक अधार पर अपने कार्य निष्पादन का व्यौरा, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 वें दिन तक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

**9. विद्युत व्यापारी के दायित्व :-**

**(1) अनुज्ञापिताधारक**

- (1) को इन संबंध में प्रमाणी कानून के साथ-साथ विशेषज्ञता से संबंधित अधिनियम, नियमों और विनियमों, ग्रिड सहिता और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और निदेशों का अनुपालन करना होगा;
- (2) को राज्य के अंदर के कारोबार के लिए ऐसे कारोबार मार्जिन के अध्यक्षीन होंगे जो आयोग समय-समय पर निर्धारित करे;
- (3) को विद्युत व्यापारी होने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं, पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकताओं और ऋण ज्ञावक्षता का अनुपालन करना होगा और उन्हें व्यापार में वृद्धि होने पर कर्मचारियों, सहित तकनीकी और पूंजीगत पर्याप्तता के स्तर को बढ़ाना होगा;
- (4) को अपना व्यापार आरंभ करने से पहले टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधाएं जैसी पर्याप्त संचार सुविधाओं की स्थापना करेगा;
- (5) को राज्य भार प्रेषण केंद्र और राज्य पारेक्षण जनोपयोगी सेवा के बीच व्यापार से संबंधित सभी कार्यकलापों के संबंध में समन्वयन करेगा;
- (6) को, अनुज्ञापि के संबंध में अपने कर्तव्य पालन में आयोग द्वारा प्राप्तिकृत किसी व्यक्ति को पूरी सहायता उपलब्ध करायगा;
- (7) को पार्टियों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर सम्मुखित सांविदा करके व्यापार किया जाएगा। पार्टियों के बीच समझौतों में व्यापार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति अथवा व्यापार हेतु उपलब्ध कराए गए विद्युत के लिए भुगतान के संबंध में आवश्यक सुरक्षापाय शामिल किए जाएंगे। समग्र व्यापार ऋण पत्र अथवा किसी अन्य देहतर आर्थिक तंत्र के आवार पर किया जाएगा।
- (8) को इन विनियमों में निर्धारित समयावधि के अनुसार अनुज्ञापिताधारक अनुज्ञापि शुल्क का भुगतान करेगा।
- (9) को लगातार चार तिमाही के लिए व्यापार कार्यकलाप को छोड़ अथवा इसमें लापरवाही नहीं करेगा।

(10) को अपने विधियों का दुरुपयोग करने वाला कोई समझौता नहीं करेगा अथवा वह न ही ऐसा कोई समझौता करेगा। जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(11) को अपने ग्राहकों और अन्य पार्टियों के साथ किए गए लेन देन का अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा।

#### 10. अनुपालन और प्रस्तुत करना :-

- (1) विद्युत व्यापारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, सहिताओं, आदेशों के उपबंधों और आयोग के निदेशों के साथ-साथ विद्युत विकरण में अंतर्न एक्सेस त्रुट करने, प्रति राज सहायता प्रभाव का मुग्जतान और आपूर्ति सहिता संबंधी विनियमों का तमुच्चेत अनुपालन करना होगा और वह समय-समय पर आयोग की अपेक्षा पर जानकारी उसके सम्बन्ध सूचनाएं प्रस्तुत करेगा;
- (2) विद्युत व्यापारी अपने राज्य के अंदर व्यापार का अन्य कारोबार से पृथक और स्वतंत्र रूप से लेखे रखेगा। विद्युत व्यापारी आयोग द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार लेख तैयार करेगा, और आयोग द्वारा ऐसे मार्ग निदेश जारी होने तक लेख कपनी अधिनियम, 1956, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार रखे जाएंगे।

#### 11. निषेध :-

- (1) विद्युत व्यापारी विद्युत पारेषण के कारोबार में प्रवृत्त नहीं होगा।
- (2) विद्युत व्यापारी, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना : (क) किसी अन्य अनुज्ञापिधारक के अधिकार की स्वीकृत अथवा अधिग्रहण अथवा उसे अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा, अथवा (ख) अपने अधिकारों के साथ विलय नहीं करेगा, अथवा (ग) अपने अनुज्ञापित किसी व्यक्ति को विक्रय, पट्ट, विनियम अथवा सुपुर्दगी अथवा जन्तरण नहीं करेगा, अथवा (घ) विद्युत का उत्पादन और वितरण सहित कोई अन्य कारोबार नहीं करेगा।

बशर्ते कि खंड 11-(३) (घ), ऐसे वितरण अनुज्ञापिधारकों और उत्पादन कंपनियों पर लागू नहीं होना जो फहले से ही कारोबार में लगे हुए हों।

- (3) जहां कही भी आयोग की पूर्व स्वीकृति जपेक्षित हो तो विद्युत व्यापारी कारोबार संचालन विनियमों, 2001 के अनुसार में आयोग के सम्बन्ध समूचित आदेन प्रस्तुत करना होगा।

#### 12. विवेकपूर्ण प्रतिवेदन :-

- (1) अनुज्ञापिधारक, यथासीमा व्यवहार्य होने पर, आयोग द्वे प्रतिवेदित करेगा :-

- (a) जब परिवर्थियों में कोई सार्थक परिवर्तन हुआ हो जिससे अधिनियम, नियमों और विनियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों और आदेश, राज्य प्रिड सहित, समर्द्दिते अथवा अनुज्ञाति के अंतर्गत अनुज्ञापिधारक के दायित्वों को पूरा करने में उसकी कमता प्रमादित होती हो;
- (b) जब अधिनियम, नियमों और विनियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों, राज्य प्रिड सहित, समर्द्दिते अथवा अनुज्ञापित का मूर्त रूप से उल्लंघन हुआ हो और

(C) जब अनुज्ञापिताधारक की अंश धारिता प्रणाली, स्वामित्व अथवा प्रबंधन में कोई प्रमुख परिवर्तन हुआ हो।

13. अनुज्ञापिति का संशोधन :-

(1) जनहित में अथवा अनुज्ञापिताधारक द्वारा दिए गए आवेदन पर आयोग अनुज्ञापिति की शर्तों में संशोधन कर सकेगा।

(2) अनुज्ञापिति की शर्तों में परिवर्तन अथवा संशोधन के संबंध में अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

14. अनुज्ञापिति का निरसन :-

(1) आयोग विद्युत व्यापारी के अनुज्ञापिति का अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत और निम्नलिखित आधार पर अनुज्ञापिताधारक का अनुज्ञापिति निरस्त कर सकता है।

a) जब अनुज्ञापिताधारक चार तिमाही की अवधि के लिए विद्युत व्यापार में विफल रहा हो अथवा कोताही बरती हो।

b) जब अनुज्ञापिताधारक के निरसन के लिए आवेदक किया हो और यदि आयोग समझता हो तो वह ऐसे धारक के अनुज्ञापिति को ऐसी शर्तों पर जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता हो, पर निरसन करेगा।

बशर्ते कि आयोग इस विनियम के अनुज्ञापिति अंतर्गत अनुज्ञापिति का निरसन करने की बजाय अनुज्ञापिति को ऐसे शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रखने की अनुमति दे सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझता है, और ऐसे लागू की गई शर्तों बाध्यकारी होंगी और अनुज्ञापिताधारक को इनका अनुपालन करना होगा और ऐसी शर्त उसी प्रकार प्रभावी होंगी जैसा कि अनुज्ञापिति में अंतर्विष्ट शर्त होती है।

15. दण्ड और आदेश का अनुपालन :-

अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, आयोग अनुज्ञापिताधारकों पर दण्ड लगा सकता है और यह अधिनियम, नियमों और विनियमों के किन्हीं उपदेशों के विपरीत अनुपालन के आदेश जारी कर सकता है।

## 16. आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी करता :-

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों और इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग, समय-समय पर इन विनियमों को लागू करने तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विभिन्न मामलों, जिन पर निर्देश देने के लिए आयोग को अधिकृत किया गया है, और प्रासंगिक तथा तत्संबंधी आनुषंगिक मामलों के संबंध में आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी करेगा।

## 17. कठिनाईयों दूर करने की शक्ति :-

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को लागू किए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशेष आदेश एवं निर्देश द्वारा ऐसे कार्य कर सकता है अथवा करा सकता है अथवा करने को कह सकता है अथवा करा सकता है, जो आयोग के विचार से कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक अथवा समीचीन है।

## 18. संशोधन की शक्ति :-

आयोग, किसी भी समय, संशोधन द्वारा इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों में जोड़, अंतर, परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है।

## 19. जांच-पड़ताल, छानबीन आदि हेतु कार्यवाही।

इन विनियमों के अंतर्गत सभी जांच-पड़ताल, छानबीन, न्याय निर्णय आयोग द्वारा उसके कार्य संचालन विनियमों, 2001 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही (दो) के माध्यम से किया जाएगा।

सोमित दासगुप्ता, सचिव  
संदीप कुमार, अपर सचिव (ऊर्जा)

परिशिष्ट- । प्रपत्र-।

(देखिए विनियम 6(2))  
दि.वि.दि.आ. (राज्य के अंतर्गत विद्युत व्यापारी) विनियम, 2005

व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :
4. संपर्क हेतु दूरभाष सं. :
5. फैक्स सं. :
6. ई – मेल आई डी :
7. दर्ज करने/पंजीकरण का स्थान :
8. दर्ज करने/पंजीकरण वर्ष :
9. श्रेणी जिसके लिए अनुज्ञाप्ति का आवेदन दिया जा रहा है :
10. संलग्न किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज :

  - (a) पंजीकरण का प्रमाण पत्र :
  - (b) कारोबार प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र :
  - (c) आवेदक अथवा उसके प्रवर्तक को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरी का मूल मुख्यतार नामा :
  - (d) आयकर पंजीकरण का घौरा :

आवेदक के वित्तीय आंकड़ों का ब्यौरा

11. गत 5 (पांच) वर्ष वित्तीय वर्षों का निवल मूल्य (भारतीय रूपये के समतुल्य – प्रत्येक वर्ष के अंत में व्याप्त विनियम दर पर परिवर्तन किया जाएगा)  
(यथा लागू वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष)	से	(दिन/माह/वर्ष)	देश की मुद्रा	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय रुपये के समतुल्य
a) वर्ष 1 ( )	से ( )		-----	-----	-----
b) वर्ष 2 ( )	से ( )		-----	-----	-----
c) वर्ष 3 ( )	से ( )		-----	-----	-----
d) वर्ष 4 ( )	से ( )		-----	-----	-----
e) वर्ष 5 ( )	से ( )		-----	-----	-----
f) उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां अथवा प्रमाणित लेखा परीक्षा परिणामों को संलग्न किया जाएगा।					

12. गत पांच वित्तीय वर्षों का वार्षिक पण्यावर्त (भारतीय रुपये के समतुल्य – प्रत्येक वर्ष के अंत में व्याप्त विनिमय दर पर परिवर्तन किया जाएगा) (यथा लागू वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष)	से	(दिन/माह/वर्ष)	देश की मुद्रा	प्रयुक्त विनिमय दर	भारतीय रुपये के समतुल्य
a) वर्ष 1 ( )	से ( )		-----	-----	-----
b) वर्ष 2 ( )	से ( )		-----	-----	-----
c) वर्ष 3 ( )	से ( )		-----	-----	-----
d) वर्ष 4 ( )	से ( )		-----	-----	-----
e) वर्ष 5 ( )	से ( )		-----	-----	-----

f) उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां अथवा प्रमाणित लेखा परीक्षा परिणामों को संलग्न किया जाएगा।

13. उपरोक्त क्रम संख्या (11) तथा (12) के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची:

दस्तावेज का नाम

- (a) \_\_\_\_\_
- (b) \_\_\_\_\_
- (c) \_\_\_\_\_
- (d) \_\_\_\_\_

14. a) क) वया आवेदक अपने तुलन पत्र पर प्रस्तावित व्यापार का पूर्णरूपेण वित्तोषण कर रहा है? हां/नहीं

b) यदि हां, तो आवेदक से प्रस्तावित इविवटी

- i) राशि
- ii) प्रतिशत

15. यदि आवेदक इकिवटी के लिए किसी अन्य एजेंसी के साथ समझौता करता है तो उस एजेंसी का नाम और पता :

- अन्य एजेंसी के संदर्भ व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता
- सम्पर्क दूरभाष नं
- फैक्स नं
- ई-मेल आई डी
- अन्य एजेंसी से प्रस्तावित इकिवटी
  - राशि
  - कुल इकिवटी का प्रतिशत
  - मुद्रा जिसमें इकिवटी प्रस्तावित है
- संलग्न की जाने वाली इकिवटी भागीदार हेतु आवेदक के साथ संबंध किए जाने के लिए अन्य एजेंसी का सहमति पत्र :
- आवेदक तथा अन्य एजेंसी के साथ प्रस्तावित गठजोड़ का प्रकार

16. व्यापारी की गतिविधि के लिए प्रस्तावित ऋण का व्यौरा :

- ऋण दाताओं का व्यौरा
- विभिन्न ऋणदाताओं से जुटाई जाने वाली राशि
- उपरोक्त के समर्थन में ऋणदाताओं के पत्रों को संलग्न किया जाएगा

17. आवेदक का संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय सामर्थ्य:

(आवेदक को इन विनियमों के संदर्भ में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचा तथा विभिन्न कार्यकलापों का जीवनवृत्त, प्रस्तावित कार्यालय तथा संचार सुविधाओं आदि के रूप में अपनी संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय सामर्थ्य का प्रमाण संलग्न करना होगा)

18. दृष्टिकोण एवं प्रणाली

(आवेदक को यथा प्रस्तावित व्यापार व्यवस्था की स्थापना के लिए दृष्टिकोण एवं प्रणाली का उल्लेख करने की आवश्यकता है।)

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

## परिषेष्ट- II प्रपत्र- II

(देखिए विनियम 8(2))  
दि. वि. ति.आ. (राज्य के अंतर्गत विद्युत व्यापार) विनियम, 2005

विद्युत व्यापारी के कार्य निषादन संबंधी मानकों के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रपत्र

(एस एल ली मी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

व्यापारी का नाम  
अनुज्ञापित संबंधी विवरण (संख्या एवं तिथि)

क्रम सं.	हिन्दूनाथ के दोरान व्यापार की मात्रा	यत्नमान तिमाही ताकं संवयी व्यापार	व्या व्यापारी की क्षेणी में कोई परिवर्तन हुआ है	व्या श्रेणी में परिवर्तन होने के कारण निवल मूल्य में वृद्धि हुई है	श्रेणी में परिवर्तन होने पर व्या आयोग में जमा अनुज्ञापि शुल्क के अतिरिक्त शुल्क दिया जाना है।	व्या अनुज्ञापि श्रेणी में किसी उल्लंघन के बारे में किसी एजेंसी द्वारा यताया गया है अथवा रख्य अनुज्ञापितारक द्वारा देखा गया है।	व्यापार हेतु छरिद की गई ऊर्जा के लिए भुगतान का रिकार्ड	टिप्पणी

परिषिद्ध- III प्रपत्र - III

[देखिए विनियम 8 (iii)]  
दि.पि.आ. (राज्य के अंतर्गत व्यापार) विनियम, 2005

तिमाही के लिए सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

समाचारी कार्रवाई

अनुदान दिलाना (संख्या एवं तिथि)

क्रमांक	10 लाख	को देवदा देवदा गया	खरीद का स्थान	खरीद मूल्य	विक्री का स्थान	विक्री मूल्य	विक्रेता/व्यापारी/देनेवाला	विक्रेता/व्यापारी/देनेवाला	व्यापार लाभ प्रभारित	टिप्पणियां
क्रमांक	फिलाटल	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	देवदा देवदा	

टिप्पणी: वारस्तिक समय आद्यार पर समर्पण कारोबार का कारोबार रिपोर्ट किया जाएगा तथा इसे संकलित नहीं दिखाया जाना चाहिए।

\* विक्रेता/देनेवाला के नाम के अतिरिक्त विक्रेता/देनेवाला की क्षेत्री को दर्शायें नामतः जेनेटर, रक्षित विद्युत संयंत्र, पारेषण अनुज्ञादिकारक, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि।

\*\* जो लाभ न हो उसे काट दें।

## DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

Delhi, the 23rd January, 2006

**No. F. 8 (19)/DERC/2005-06/3634.**—In exercise of the powers conferred by Section 52 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations providing for the eligibility criteria for grant of trading licence and the duties of the electricity trader, namely :—

**1. Short title, extent and commencement:-**

- (1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Intra-state Electricity Trader) Regulations, 2005.
- (2) These Regulations shall apply to any person undertaking intra-state trading of electricity in the National Capital Territory of Delhi.
- (3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

**2. Definitions:-**

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "applicant" means a person who has made an application to the Commission for grant of licence for intra-state trading of electricity;

- (c) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission;
- (d) "customer" means any buyer purchasing electricity from the trader;
- (e) "intra-state trading" means trading in electricity within the territory of the National Capital Territory of Delhi by an electricity trader;
- (f) "trading licence" means a licence granted under Section 14 of the Act to undertake intra-state trading in electricity as an electricity trader;
- (g) "licensee" means a person who has been granted a Trading Licence;
- (h) "net worth" means the sum total of paid up capital and free reserves, but shall not include reserves created out of revaluation of assets, write back of depreciation provisions and amalgamation.
- (i) "other business" means any business of the trading licensee other than the licensed business of intra-state trading;

(2) The words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

### **3. Technical Requirements to Qualify as an Electricity Trader:-**

- (1) The applicant for trading licence shall have the technical capability and resources and capabilities adequate to manage the intended volume of intra-state trade.
- (2) The Commission may from time to time by general or special order decide on the technical capabilities to be maintained by the Electricity Trader.
- (3) The Applicant shall have at least one person with qualification in engineering and a minimum of 10 years experience in electricity industry to comply with the technical requirements for discharging the functions of the Electricity Trader.

(4) The Electricity Trader shall maintain the technical capability and resources as directed by the Commission and provide the Commission with the details of any changes thereon and justify that the capability is adequately maintained to cater to the volume of trade undertaken by him.

**4. Financial requirements to qualify as an electricity trader: -**

(1) The applicant shall declare to the Commission the maximum trading volume the applicant proposes to handle in a year and its future plans of trading during the initial three years.

(2) **Capital adequacy requirement and creditworthiness:** Considering the volume of intra-state trading proposed to be undertaken, the net worth of the electricity trader at the time of application shall not be less than the amounts specified hereunder:-

S. No .	Category of the Trading Licence	Volume of Electricity proposed to be traded (in Kilo-Watt Hours) per year.	Networth (Rupees In lakh)
1.	A	Up to ten million	Fifteen
2.	B	Ten to twenty million	Thirty
3.	C	Twenty to fifty million	Seventy five
4.	D	Fifty to seventy million	One hundred
5.	E	Seventy to one hundred million	One hundred fifty.
6	F	One hundred to two hundred million	Two hundred

Provided that in case where the Trading volume reaches beyond two hundred million Kilo-Watt Hours per year, the capital adequacy and the credit worthiness for such trader shall be decided by the Commission, by general or special Order, as and when required.

(3) The trader shall make reasonable endeavours to maintain investment grade credit rating from an independent Credit Rating Agency throughout the period of the Licence.

(4) In case the volume of trade moves, at any stage, from lower category to higher category, the Licensee shall increase his net worth within a period of thirty days of such transition and shall pay the differential licensee fee to the Commission and the licensee shall inform the Commission of such transition and subsequent change in the net worth within thirty days.

**5. Exemption to deemed licensee:-**

Notwithstanding anything contained in regulation 4, the Deemed Distribution Licensees, under section 14 of the Act, would be entitled to undertake intra-state trading in electricity and shall not be required to have the technical or financial requirements including the capital adequacy norms and the credit worthiness as determined in the said Regulations.

Provided that the Commission may under the proviso to section 16 of the Act, lay down general or special conditions, which such, deemed licensee, shall be required to comply, to continue the activities of an electricity trader.

**6. Procedure for grant of licence for intra-state trading**

(1) Procedure for grant of license as laid down by the Act, shall be applicable for grant of intra-state trading licenses and all proceedings under these regulations, to be conducted by the Commission, shall be governed by its Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 2001.

(2) The application for grant of licence for intra-state trading shall be made to the Commission in the manner specified under these regulations, in the Form-I appended to these regulations, (verified by an affidavit), and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the State Government:

Provided that till such time the fee is prescribed by the State Government the application for grant of licence for intra-state trading shall be accompanied by a fee of Rupees one Lakh only payable through Bank Draft/Pay Order drawn in favour of Secretary, Delhi Electricity Regulatory Commission, New Delhi, and the fee so paid shall be subject to adjustment as and when the fee is prescribed by the State Government.

(3) The applicant, who has made the application for grant of license shall, within 7 days after making such application, publish a notice of his application, with such particulars and in such manner, as may be decided by the Commission.

#### 7. Payment of licence fee

(1) The Licensee shall pay to the Commission the annual licence fee of the amount specified hereunder, payable by means of a demand draft or pay order drawn in favour of Secretary, Delhi Electricity Regulatory Commission, New Delhi

Sl. No.	Category	Volume of Electricity proposed to be traded per annum (in Kilo – Watt Hours)	Licence fee (In Rupees)
1	A	Upto ten million	Fifteen thousand
2	B	Ten to twenty million	Thirty thousand
3	C	Twenty to fifty million	Seventy thousand
4	D	Fifty to seventy million	One lakh
5	E	Seventy to one hundred million	One lakh fifty thousand
6	F	One hundred to two hundred million	Two lakh

Provided that for a part of the year, the licence fee shall be payable pro rata on the basis of number of days:

Provided further that the licence fee calculated on pro rata basis for a part of the year, shall be rounded off to nearest hundred Rupees:

Provided also that in case where the trading volume reaches beyond two hundred million Kilo-Watt Hours per year, the license fee shall be decided by the Commission, by general or special order, as and when required.

(2) The licence fee shall be paid by the 15th April of each year, and in case the trader has moved from a lower category to a higher category, the balance of licence fee shall be paid within thirty days of such transition.

(3) In case licensee moves from a higher category to lower category, license fee shall not be refunded to the licensee.

(4) The licence fee shall be paid within thirty days of issue of licence.

(5) In case the licensee fails to pay the licence fee or a part thereof, for a period of three months, the licensee shall be liable to pay late payment surcharge on the outstanding amount at the rate of one percent of the licence fee payable per month or a part of the month, for the period the licence fee or any part thereof remains unpaid.

(6) Notwithstanding the liability of the licensee to pay the late payment surcharge as aforesaid, the delay in payment of licence fee or a part thereof, beyond aforesaid period shall be construed as breach of the terms and conditions of the licence and the licence shall be liable to be revoked.

#### **8. Standards of performance**

(1) The Commission may, after consultation with the licensee(s), determine the standards of performance of the licensee or class of licensees.

(2) Notwithstanding the above, the licensee shall furnish the performance details on a quarterly basis to the Commission in the format prescribed in Form-II and Form III appended to these regulations, by 15th day of end of each quarter.

#### **9. Obligation of an Electricity Trader:-** The Licensee shall,

(1) comply with the requirements of laws in force and, in particular, the Act, the rules and the regulations, Grid Code and the orders and directions issued by the Commission, from time to time;

- (2) be subject to the trading margins for the intra-state trading as fixed by the Commission, from time to time;
- (3) be governed by the technical requirements, capital adequacy requirements and creditworthiness determined by the Commission in these regulations for being an electricity trader and shall upgrade these technical and capital adequacy requirements, including staff, when the volume of trading increases;
- (4) establish adequate communication facilities like telephone, fax, computer, Internet facilities, before undertaking trading;
- (5) coordinate with State Load Dispatch Centre and State Transmission Utility with regard to all trading-related activities;
- (6) render all assistance to any person authorised by the Commission for carrying out his duties relating to the license;
- (7) carry out the trading bilaterally between the parties by entering into appropriate contracts. Necessary safeguards with regard to supply of electricity through trading, or payment for the electricity traded shall be included in the agreements between the parties. All trading arrangements shall be done through Letters of credit or with any other superior instrument;
- (8) pay the licence fee in accordance with the time schedule as laid down in these Regulations;
- (9) not omit or neglect to undertake trading activity for four consecutive quarters;
- (10) not enter into any agreement leading to abuse of his dominant position or enter into a combination which is likely to cause an adverse effect on competition in electricity industry;
- (11) maintain up-to-date record of his customers and the transactions undertaken by him with other parties.

#### 10. Compliances and Information Submission:-

- (1) The Electricity Trader shall duly comply with the provisions of the Act, rules, regulations, Codes and the orders and directives of the Commission, payment of cross subsidy

surcharge and Supply Code and furnish the information which the Commission may require from time to time;

(2) The Electricity Trader shall maintain accounts for its intra-state trading business separate and independent of Other Business. The Electricity Trader shall prepare the accounts in accordance with the guidelines issued by the Commission; and till such time these guidelines are issued by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956.

#### 11. Prohibitions:-

(1) The Electricity Trader shall not engage in the business of transmission of electricity.

(2) The Electricity Trader shall not, without prior approval of the Commission:

(a) acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other Licensee, or

(b) merge his utility with the utility of any other Licensee, or

(c) assign or transfer his licence to any person, by sale, lease, exchange or otherwise, or

(d) engage in any other business including distribution or generation of electricity.

Provided that the clause (d), shall not be applicable to Distribution Licensees and Generating Companies already engaged in the business of trading.

(3) Wherever prior approval of the Commission is required, the Electricity trader shall file an appropriate application before the Commission, in accordance with the Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 2001.

#### 12. Prudential reporting:-

(1) The Licensee shall, as soon as practicable, report to the Commission:-

- (a) any significant change in the circumstance which may affect the licensee's ability to meet his obligations under the Act, the rules and the regulations and the directions and order issued by the Commission, the State Grid Code, the Agreements or the License;
- (b) any material breach of the provision of the Act, the rules and the regulations and the directive and orders issued by the Commission, the State Grid Code, the Agreements or the License; and
- (c) any major change in shareholding pattern, ownership or management of the licensee.

**13. Amendment of license: -**

- (1) The terms and conditions of the license may be modified by the Commission in public interest or on an application made by the licensee.
- (2) The procedure as laid down in section 18 of the Act, shall be applicable for any alteration or modification to the terms and conditions of the license.

**14. Revocation of licence: -**

- (1) The Commission after making an enquiry, is satisfied that the public interest so require, it may revoke the license of the Electricity trader for the grounds and as per the procedure stipulated in section 19 of the Act, and also;
  - a) where Licensee has failed or neglected to undertake trading in electricity for four consequent quarters.
  - b) when the Licensee makes an application for revocation of the license and the Commission is satisfied that public interest so requires, the Commission may revoke his license, on such terms and conditions as it thinks fit.

Provided further that the Commission may, instead of revoking a license under this Regulation, permit the license to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms and conditions so imposed shall be binding upon and be observed by the Licensee and

shall be of like force and effect as if they were contained in the license.

15. **Penalties and orders for compliance:** - In accordance with section 142 of the Act, the Commission may impose penalty on the Licensees and may issue orders for compliance for contravention of any provisions of the Act, Rules, and Regulations.
16. **Issue of orders and practice directions:** - Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed and various matters, which the Commission has been empowered by these regulations to direct, and matters incidental or ancillary thereto.
17. **Power to remove difficulties:** - If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the Licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
18. **Power to Amend:** -  
The Commission may, at any time add, vary, alter or modify any provisions of these regulations by amendment.
19. **Proceedings for inquiries, investigations, etc.**  
All inquiries, investigations, adjudication under these regulations shall be done by the Commission through proceeding(s) as per the provisions of DERC (Conduct of Business) Regulations 2001.

SOMIT DASGUPTA, Secy.

SANDEEP KUMAR, Addl. Secy. (Power)

## Appendix I—FORM I

(See regulation 6(2))

**Delhi Electricity Regulatory Commission (Intra-state Electricity Trader) Regulations, 2005****Application form for grant of Trading Licence****Particulars of the Applicant**

1. Name of the applicant :
2. Address of the Registered office :
3. Name, designation & address of the contact person :
4. Contact Tel. Nos. :
5. Fax No. :
6. E-mail ID :
7. Place of incorporation/registration :
8. Year of incorporation/registration :
9. Category for which the license is being applied:
10. Following documents are to be enclosed :
  - (a) Certificate of registration :
  - (b) Certificate of commencement of business :
  - (c) Original power of attorney of the signatory to commit the applicant or its promoter :
  - (d) Details of Income Tax Registration :

**Details of Financial Data of Applicant**

11. Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past five financial years. (Specify financial year as applicable)

204/2004-177

(DD/MM/YY)	to	(DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange rate used	In equivalent Indian Rs.
a) Year1 ( )	to ( )		-----	-----	-----
b) Year2 ( )	to ( )		-----	-----	-----
c) Year3 ( )	to ( )		-----	-----	-----
d) Year4 ( )	to ( )		-----	-----	-----
e) Year5 ( )	to ( )		-----	-----	-----
f) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above					

12. Annual Turnover (in equivalent Indian Rupees – conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past five financial years (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY)	to	(DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange rate used	In equivalent Indian Rs.
a) Year1 ( )	to ( )		-----	-----	-----
b) Year2 ( )	to ( )		-----	-----	-----
c) Year3 ( )	to ( )		-----	-----	-----
d) Year4 ( )	to ( )		-----	-----	-----
e) Year5 ( )	to ( )		-----	-----	-----
f) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above					

13. List of documents enclosed in support of Sl. Nos. (11) and (12) above:

Name of the document

(a) \_\_\_\_\_  
 (b) \_\_\_\_\_  
 (c) \_\_\_\_\_  
 (d) \_\_\_\_\_

14. a) Whether applicant himself shall be financing the proposed trading fully on its own balance sheet? : Yes/No

b) If yes, proposed equity from the applicant

i) Amount :  
ii) Percentage :

15. In case the applicant proposes to tie up with some other Agency for equity, then name & address of such agency :  
a) Name, designation & address of reference person of the other agency :  
b) Contact Tel. No. :  
c) Fax No. :  
d) E-mail ID :  
e) Proposed equity from the other agency :  
i) Amount :  
ii) Percentage of total equity :  
iii) Currency in which the equity is proposed :  
f) Consent letter of the other agency to associate with the applicant for equity participation to be enclosed :  
g) Nature of proposed tie-up between applicant and the other agency :  
16. Details of debt proposed for the Trader activity :  
a) Details of Lenders :  
b) Amount to be sourced from various lenders :  
c) Letters from the lenders in support of the above to be enclosed :  
17. Organisational & Managerial Capability of Applicant:

(Applicant is required to enclosed proof of their Organisational & Managerial Capability, in terms of these Regulations, in form of proposed organisational structure and curricula vitae of various Executives, proposed office and communication facilities etc.)

25/10/06—2

## 18. Approach & Methodology

(Applicant is required to describe Approach & Methodology for establishment of the Trading arrangements as proposed by the applicant)

Dated:

(Signature of Applicant)

## APPENDIX-II—FORM-II

Delhi Electricity Regulatory Commission (Intra-state Electricity Trader) Regulations, 2005  
(See Regulation 8(2))

## Proforma for submission of Standards of Performance of Electricity Trader

(to be submitted through State Load Dispatch Centre)

Name of the Trader  
License details (No. & date)

### Appendix-III—FORM-III

**Delhi Electricity Regulatory Commission (Intra-state Electricity Trader) Regulations, 2005**

## Proforma for submission of information for the Quarter \_\_\_\_\_

License details (No & date)

Note : All the transactions shall be reported transaction-wise on real time basis and should not be aggregated

\* Besides the name of the seller/buyer, indicate the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, government, consumer (when applicable) etc.

\* Strike out whichever is not applicable.